



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269948
CG-DL-E-07022026-269948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 595]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 625(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3892(अ) तारीख 25 अगस्त, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.026 (शाहजहाँपुर- बीसलपुर खण्ड) के निर्माण/चौड़ीकरण (दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 20 सितंबर, 2025 को "अमर उजाला" (हिन्दी) और "हिन्दुस्तान टाइम्स" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.026 (शाहजहाँपुर- बीसलपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: पीलीभीत		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बीसलपुर					
गांव का नाम: खंनका उचसिया					
1	296	निजी	कृषिक	0.117	किशन सिंह पुत्र जंगबहादुर, दलसिंह, बादल सिंह पुत्रगण विजय बहादुर, आदेश जायसवाल, गौरव जायसवाल, विनय जायसवाल पुत्रगण वेदप्रकाश जायसवाल
गांव का नाम: गुलैदा गौटिया					
2	200	निजी	कृषिक	0.08	केशव दत्त पुत्र शंकर लाल, पुतूलाल पुत्र मेवाराम, सुरेशचन्द्र व हरीश कुमार पुत्रगण श्रीकृष्ण, जयप्रकाश पुत्र ईश्वरी प्रसाद

3	202	सरकारी	अकृषिक	0.011	बंजर
गांव का नाम: दुगीपुर बड़गवा					
4	214	निजी	कृषिक	0.651	आलोक कुमार पुत्र नागेन्द्र नाथ, अश्वनी कुमार पुत्र नागेन्द्र नाथ
Total				0.859	

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-731K/2023-24/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 625(E).— Whereas by the notification number S.O.3892(E) dated 25th August, 2025 of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning, etc.), Maintenance, management and operation of National Highway-731K in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 47.026 (Shahjahanpur-Bisalpur section) in the district of PILIBHIT in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Umar Ujala” (Hindi) and “Hindustan Times” (English) both dated 20 September, 2025 under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures falling NH-731K in the stretch of land from Km.0.000 to 47.026 (Shahjahanpur – Bisalpur section) in the district of Pilibhit in the State of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: PILIBHIT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bisalpur					
Village: Khanka Uchsiya					
1	296	Private	Agricultural	0.117	Kishan Singh S/O Jangbahadur, Dal Singh & Badal Singh S/o Vijay Bahadur, Adesh Jaisawal, Gaurav Jaisawal & Vinay Jaisawal S/o Vedprakash Jaisawal
Village: Gulainda Gautiya					
2	200	Private	Agricultural	0.08	Keshav Dutt S/O Shankar Lal, Puttulal S/O Mewaram, Sureshchandra & Harish Kumar S/o Srikrishn, Jayprakash S/O Ishwari Prasad
3	202	Government	Non-Agricultural	0.011	Banjar
Village: Dugipur Badgawa					
4	214	Private	Agricultural	0.651	Alok Kumar S/O Nagendra Nath, Aswani Kumar S/O Nagendra Nath
Total				0.859	

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-731K/2023-24/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director